न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-206RAAJodhpur2024-80RTA223 Lakhsingh Vs Dharmasingh etc

लखसिंह पुत्र श्री अगरसिंह, जाति राव, निवासी– ग्राम बड़ा कोटेचा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. धर्मसिंह पुत्र श्री भंवर लाल, जाति माली, निवासी– गण्डोर, जोधपुर।
02. टीकमसिंह गहलोत पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी– जोधपुर
03. गजेसिंह पुत्र श्री अगरसिंह
04. शंकरसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
    जातियान् राव निवासीगण बड़ा कोटेचा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर
05. चुनी कंवर पत्नी श्री भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी– बड़ा कोटेचा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मई 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री पी.आर. मेघवाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री मदन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 12 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 अनवान धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 138/2 रकबा 3.3751 *हैक्टेयर, मौजा ग्राम बड़ा कोटेचा खुर्द, तहसील तिंवरी के संबंध धारा 53 एवं 188* आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 मई 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलार्थी के द्वारा किसी को अपना अधिवक्ता मुकर्रर किया था। अपीलार्थी के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा साथ मिली भगत करके उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा बंटवाड़े के बाबत् किसी भी प्रकार की सहमति जाहिर नहीं की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 03 को वाद के नोटिस तामिल ही नहीं हुए और न ही प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अमल में लाई गई। दिनांक 05.02.2024 तक उक्त प्रकरण की पत्रावली प्रतिवादी संख्या 03 की तलबी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन थी। उसके बावजूद भी दिनाक 05.02.2024 को ही प्रतिवादी अधिवक्ता चन्दनसिंह ने प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति जाहिर कर दी, जबकि अपीलार्थी के द्वारा भी वादीगण के वाद को डिक्री करवाने हेतु कभी भी सहमति जाहिर नहीं की और न ही लिखित में कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की सहमति मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है. जो प्राकृतिक न्याय के चुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार नहीं थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा पूर्व सहखातेदारो से भूमि खरीद की गई है। तत्पश्चात् उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया गया। पूर्व के खातेदारो का जहां पर कब्जा था. वही पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को कब्जा सुपुर्द किया गया था। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने मुख्य सड़क पर भूमि लेने एवं शेष खातेदारो को पीछे की तरफ भूमि देने के उद्देश्य से बदनियती पूर्वक आपस में मिली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भगत करके उक्त बाद प्रस्तुत करवाया और तत्पश्चात् उसमें अपनी सहमति जाहिर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई गई है. जबकि अपीलार्थी के द्वारा कभी भी उक्त वाद को डिक्री करवाने हेतु अपनी सहमति नहीं दी और न ही अधिवक्ता मुकर्रर किया था, उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को मध्य नजर रखते हुए तथा शेष प्रतिवादीगणो को दरकिनार करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा अपने वाद के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया गया है. उक्त नक्शे में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा वर्तमान कब्जा–काश्त से हटकर अपनी मनमर्जी अनुसार हिस्सा दर्शित करते हुए उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान कब्जा काश्त से हटकर यदि भूमि का बंटवाड़ा किया जाता है, तो अपीलार्थी को भारी क्षति कारित होगी तथा मौके पर अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा नजरी नक्शे में जहां प्रतिवादी संख्या 02 को भूमि देना वर्णित किया है, उसमें किसी भी प्रकार का रास्ता भी नहीं लगता है, जिससे आवागमन में भी भारी समस्यांए उत्पन्न होगी। यदि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता, तो अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करता और न्यायालय के द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादी एवं प्रतिवादी की सहमति मानते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 अनवान धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 मई 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। जहां तक अपीलांट द्वारा अपनी जोत तक पहुंचने हेतु रास्ते रखे जाने का उज्र उठाया है, अपीलांट के उक्त उज्र का निस्तारण विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त होना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन द्वारा कब्जा काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किये जानें की सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त व जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार तिंवरी को आदेशित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

अपीलांट द्वारा अपनी जोत तक पहुंच हेतु रास्ता रखे जाने का उज्र उठाया गया है। अपीलांट के उक्त उज्र का निस्तारण विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त होना है। फिर भी न्याय हित में इस बाबत तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाना उचित है। गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 अनवान धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 मई 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार तिवंरी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान् की जोत तक पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-206RAAJodhpur2024-80RTA223 Lakhsingh Vs Dharmasingh etc

अपीलाण्ट

लखसिंह पुत्र श्री अगरसिंह, जाति राव, निवासी– ग्राम बड़ा कोटेचा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

01. धर्मसिंह पुत्र श्री भंवर लाल, जाति माली, निवास गण्डोर, जोधपुर।
02. टीकमसिंह गहलोत पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी– जोधपुर
03. गजेसिंह पुत्र श्री अगरसिंह
04. शंकरसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
   जातियान् राव निवासीगण बड़ा कोटेचा, तहसी तिवरी, जिला जोधपुर
05. चुनी कंवर पत्नी श्री भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी– बड़ा कोटेचा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मई 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि

यह अपील बतारीख 12 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पी.आर. मेघवाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रोशनलाल, श्री मदन सिंह अधिवक्ता रेस्पो. एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 115/2022 अनवान धर्मसिंह व अन्य बनाम गजेसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01 मई 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान् की जोत तक पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में वाई मिट्स एवं वाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

तसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 12 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर